

मु० न०:- 04/2023


उनवान:- साहब सिंह बनाम हरभान सिंह  
दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

दिनांक  
6/23

वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नाटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हो।

104-14  
6-1-2023

  
(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

62/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 5, 6, 7 के नोटिस अडम तामील होकर प्राप्त हुए हैं एवं प्रतिवादी न० 11 पैरोकार सरकार उपस्थित। एवं शेष प्रतिवादी न० 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं वास्ते इन्फार्म तलबी प० साहब राजकार्य से नाटौली पधार हैं वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 14.3.23 को पेश हो।

14/23

वकुलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रख  
पाठसासन अधिकारी भ्रमण/नोटिस/अवकाश पर  
दिनांक 19.4.23 को पेश हो

19/23

वादी वकील...  
पत्रावली... 24.5.23  
को पेश हो।

24/23

वादी वकील/वकील उमय प्रकाश उपस्थित  
पत्रावली... 27.5.23  
को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभी

खण्ड अधिकारी एवं

दिनांक

फर्द अहकाम

२, ६/२५

पत्रावकी पैरा ६३) वाडी युव वाडी वकील  
 कोठी उपस्थित नहीं वाट २ (मावाज) डी.ए.  
 गरी इसके वाय फूड भी कोठी उपस्थित  
 नहीं इसलिख वाडी का डक्टर डावा कडम  
 पैरकी भडम डी.पी. मे खारीज किया  
 (गारा है) पत्रावकी पैरा ६३) डी.ए. सुमाट डी.ए.  
 नकवाले कम कल डावा डक्टर है।

(३)